DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi

Subject: Response/Compliance Report in the matter of O.A. No. 329 of 2021 Devanshu Bose Vs. Agra Development Authority & Ors.

1. That an Original application 329/2021 was filed in this Hon'ble Tribunal against the failure of the state authorities to prevent discharge of sewage on open land from "Nalanda town" a housing colony developed by a builder at Shamshabad Road , Agra, Uttar Pradesh. It is submitted that questions was raised pertains to the failure of Agra Development Authority on account of sewage generation i.e., 1.45 lakh litres per day.

2. That vide order dated 01.12.2021, report was sought from joint committee consists of ADA, District Magistrate, Agra and UPPCB. It is pertinent to mention here that in the light of the report of joint committee, ADA(Agra Development Authority) has failed to perform its statutory obligations.

3. That ADA was directed to deposit interim compensation of Rs 25 lakh with District Magistrate, Agra for restoration of damage to the environment. It was further directed to the ADA to take remedial measures to prevent the discharge of the untreated sewage in open. It was observed by the Hon'ble Tribunal that ADA has failed to prevent the setting up of colonies without the requisite infrastructure.

4. That the present matter pertains to the irregularities done by ADA on account of which this Hon'ble Tribunal was displeased with the factual situation in Agra. It is submitted that as per the order dated

18.01.2023 ACS, Urban Development and ACS, Housing Development were directed to oversee remedial action by calling online meeting and further directed to file an Action Taken Report within six months.

5. That an execution application has been filed by the applicant who sought the execution of order dated 18.01.2023 passed in O.A. No. 329/2021. Applicant alleged that sewage water is being dumped into open field and STP is still not operational .

6. That in OA 329/2021 Shri Devanshu Bose Vs Agra Development Authority and ors and in relation to the order dated 18.01.2023, ADA approached to the Hon'ble Supreme Court against the order dated 18.01.2023 in civil appeal no. 3546/2023, whereby apex court directed ADA to comply with the order of the Hon'ble Tribunal, on the above said order ADA was directed to Rs 25 Lakh in the account of UPPCB.

7. That in compliance with the order dated 18.01.2023 , a detailed ATR is filed by the ACS, Urban Housing and Planning Department. It is submitted that the developer Nalanda Town Colony, Shamsabad Road, Agra has obtained regular electricity connection for the operation of STP. That the quality of water treated by the STP was tested by the UPPCB and according to the report of UPPCB the quality of the treated water is as per standards.

8. That the Urban Department has no specific role to play in the present execution application, it is submitted that Agra Development Authority and Urban Housing and Planning Department are relevant statutory authorities to execute the orders of the Hon'ble Tribunal.

9. That all the actions on Nalanda Town issue has to be addressed by Agra Development Authority only . The detailed updated status regarding the treatment plants to be established for sewage treatment in the city has been made available by UP Jal Nigam

through its letter no. 709/NGT/05 dated 13.05.2023. Copy of the correspondence issued by Nagar Ayukt, Nagar Nigam, Agra is hereby marked as **ANNEXURE-1**

It is respectfully submitted that the above mentioned response is enclosed with annexures which would be imperative to adjudicate the present matter. It is most respectfully submitted that kindly dismissed the above mentioned execution application against the answering respondent in the interest of justice and equity.

Date: 14 Dec, 2023

Amrit Abhijat
Principal Secretary
Urban Development Department

NGT-293/नौ-5-23

कार्यालयः नगर निगम, आगरा

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
नगर विकास अनुभाग-5,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्रांकः- 518 डी/ईई/2023 दिनांक :-21 नवम्बर 2023

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 329/2021 Devanshu Bose Vs. Agra Development Authority व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 के विरूद्ध आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या-3546/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या NGT-259/नौ-5-2023-IIरिट/2022 दिनांक 21.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 329/2021 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 के विरूद्ध आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या-3546/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

अवगत कराना है कि श्री देवांशु बोस, निवासी- 107 नालन्दा टाउन, शमशाबाद रोड, आगरा द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नालन्दा टाउन सोसायटी में एस0टी0पी0 के निर्माण, संचालन व रखरखाव के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में याचिका ओ0ए0 संख्या- 329/2021 योजित की गयी थी। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 के विरूद्ध आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सिविल अपील मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित की गयी, जिसके क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 पर कार्यवाही आगरा विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाना अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नालन्दा टाउन प्रकरण पर समस्त कार्यवाही आगरा विकास प्राधिकरण के माध्यम से ही की जानी है। नगर में सीवेज शोधन हेतु स्थापित किये जाने वाले शोधन संयंत्रों के सम्बन्ध मे विस्तृत अद्यतन स्थिति उ0प्र0 जल निगम द्वारा अपने पत्र सं0 709/एन0जी0टी0/05 दिनांक 13.10.2023 के माध्यम में उपलब्ध करायी गयी है, जो सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अंकित खण्डेलवाल)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

प्रतिलिपिः-

1. निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा।

Sanjiv Pradhan (1642)

प्र0 आ0नि0
12.12.2023

कार्यालयः नगर निगम, आगरा

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
नगर विकास अनुभाग-5,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्रांकः-518 डी/ईई/2023 दिनांक :-21 नवम्बर 2023

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 329/2021 Devanshu Bose Vs. Agra Development Authority व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 के विरूद्व आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या-3546/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या NGT-259/नौ-5-2023-1रिट/2022 दिनांक 21.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या- 329/2021 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 के विरूद्व आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या-3546/2023 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

अवगत कराना है कि श्री देवांशु बोस, निवासी- 107 नालन्दा टाउन, शमशाबाद रोड, आगरा द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नालन्दा टाउन सोसायटी में एस0टी0पी0 के निर्माण, संचालन व रखरखाव के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में याचिका ओ0ए0 संख्या- 329/2021 योजित की गयी थी। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 के विरूद्व आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सिविल अपील मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित की गयी, जिसके क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 पर कार्यवाही आगरा विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाना अपेक्षित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नालन्दा टाउन प्रकरण पर समस्त कार्यवाही आगरा विकास प्राधिकरण के माध्यम से ही की जानी है। नगर में सीवेज शोधन हेतु स्थापित किये जाने वाले शोधन संयंत्रों के सम्बन्ध मे विस्तृत अद्यतन स्थिति उ0प्र0 जल निगम द्वारा अपने पत्र सं0 709/एन0जी0टी0/05 दिनांक 13.10.2023 के माध्यम में उपलब्ध करायी गयी है, जो सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

/

(अंकित खण्डेलवाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा।

प्रतिलिपिः-

1. निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा।